नंद किशोर शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
1037
अनिल क्षेत्रपाल जे0 के सम्मुख

नंद किशोर शर्मा–याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. No.16952
25 मई, 2021

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 311–हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1999–आर. एल. 9–निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पेंशन–सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता का दावा–आयोजित, निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक सरकारी कर्मचारी के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेवा की शर्तें और भर्ती की विधि अलग–अलग है–निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक गैर–हस्तांतरणीय पदों पर हैं और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है जबकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह 58 वर्ष है और पूरे राज्य में स्थानांतरण के अधीन है– इसके अलावा, निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा नहीं है, जबकि यह सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है–इसलिए, याचिकाकर्ता नियमों के प्रावधानों से परे लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

यह माना गया कि, विवाद सं0 4, यह ध्यान दिया जा सकता है कि निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।उनकी सेवा शर्तों के साथ–साथ भर्ती का तरीका भी अलग है।निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक गैर–हस्तांतरणीय पदों पर हैं और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है जबकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह 58 वर्ष है और वे पूरे राज्य में स्थानांतरण के अधीन हैं।इसके अलावा, निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा नहीं है, जबकि यह सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। इसके अलावा, इस पीठ ने सी. डब्ल्यू. पी. 11686–2004 में निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों/स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले का फैसला करते हुए हरियाणा राज्य शिक्षक संघ बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य ने निर्णय लिया कि इन दोनों श्रेणियों में आने वाले कर्मचारी अलग–अलग हैं और वे एक समान वर्ग नहीं बनाते हैं।(पैरा 13)
अनुराग जैन, अधिवक्ता,
याचिकाकर्ताओं के लिए 1038

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
2021(1)
कीर्ति सिंह, डीएजी, हरियाणा
अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(1) इस याचिका द्वारा से, 5 रिट याचिकाकर्ता, जो 01.01.2006 से 30.6.2006 की अवधि के दौरान विभिन्न गैर–सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों से सहायक प्रोफेसर के रूप में सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों सेसेवानिवृत्त हुए हैं, अपने सहयोगियों के साथ पेंशन की राशि की गणना करने की विधि में समानता के लिए प्रार्थना करते हैं जो कट ऑफ तिथि यानी 12.10.10 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे।

(2) राज्य ने हरियाणा से संबद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 लागू किया है। उपरोक्त अधिनियम के तहत, राज्य ने हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1999 (इसके बाद 1999 नियम के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित करके रिट याचिकाकर्ताओं जैसे कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान किया है जो गैर–सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।वर्ष 2001 में नियमों में संशोधन किया गया था।याचिकाकर्ताओं को 1999 के नियमों के अनुसार पेंशन मिल रही है। नियम 9 के अनुसार, पेंशन की गणना पिछले दस महीनों के औसत वेतन के 50 प्रतिशत की दर से की जानी है, जो नीचे दी गई है:–

"9. सेवानिवृत्ति पेंशन:– (1) सभी कर्मचारी होंगे शामिल वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से सेवानिवृत्ति पेंशन के हकदार हैं।

(2) पेंशन की गणना पिछले दस महीनों के औसत वेतन के पचास प्रतिशत की दर से की जाएगी। पूर्ण पेंशन की स्वीकार्यता तैंतीस साल की योग्यता सेवा के पूरा होने पर होगी।पेंशन की

राशि सेवा की अवधि से निर्धारित की जानी है।इस उद्देश्य के लिए योग्यता सेवा की अवधि की गणना पूरी की गई छह मासिक अवधि के संदर्भ में की जाएगी और तीन महीने या उससे अधिक के बराबर वर्ष के अंश को पूरी की गई छह मासिक अवधि के रूप में माना जाएगा।सूत्र निम्नानुसार होगाः–

10 266 यदि तैंतीस वर्ष की अर्हता सेवा के लिए इस प्रकार गणना की गई पेंशन Rs.1275/– (केवल एक हजार दो सौ पचहत्तर) से कम हो जाती है तो उसे सभी मामलों में Rs.1275/– (केवल एक हजार दो सौ पचहत्तर) तक बढ़ाया जाएगा।"

नंद किशोर शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
1039
(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

(3) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, हरियाणा राज्य ने 12.10.2010 से पहले सरकारी कर्मचारियों के साथ–साथ सेवानिवृत्त लोगोंकी पेंशन योजना में संशोधन किया। याचिकाकर्ताओं को संशोधित पेंशन भी मिल रही है।वे 12.10.2010 दिनांकित परिपत्रों से व्यथित हैं जिन्हें 18.04.2016 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से और स्पष्ट/दोहराया गया है। उपरोक्त अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि जो कर्मचारी 01/06/2006 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन दिनांक 12/10/2010 जारी होने की तारीख से पहले, देय पेंशन की राशि की गणना करने के तरीके के संबंध में पेंशन नियम, 1999 के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे।

(4) छठे वेतन आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों में, सरकार द्वारा स्वीकार किए गए परिवर्तनों में से एक पेंशन नियम, 1999 के नियम 9 के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत पर पेंशन की गणना करना है, जो देय पेंशन की राशि का पता लगाने के लिए पिछले 10 महीने के औसत वेतन लेने का प्रावधान करता है।उनका दावा है कि राज्य के निर्णय के परिणामस्वरूप भेदभाव हुआ है अर्थात वे कर्मचारी जो 12.10.2010 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।वे मुख्य रूप से D.S.Nakara बनाम भारत संघ में पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा करते हैं।यह तर्क दिया गया है कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त

कॉलेजों के पेंशनभोगी एक सामंजस्यपूर्ण समूह बनाते हैं और इसलिए, सेवानिवृत्ति की कट ऑफ तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव मनमाना और अवैध है।

(5) दूसरी ओर, राज्य ने यह प्रस्तुत करते हुए याचिका का विरोध किया है कि याचिकाकर्ता और गैर–सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों से इसी तरह के अन्य सेवानिवृत्त लोग पेंशन नियम, 1999 के अनुसार पहली बार पेंशन के हकदार बने।1999 के नियमों के प्रवर्तन से पहले, याचिकाकर्ताओं सहित सभी समान रूप से स्थित कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना था, ने अपना–अपना वचन दिया कि पेंशन की गणना पिछले 10 महीनों के औसत वेतन के 50 प्रतिशत की दर से की जाएगी।यह भी तर्क दिया गया है कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन की योजना की परिकल्पना अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के हिस्से के आधार पर की गई थी। यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने इस मामले में शामिल वित्तीय प्रभावों पर काम करने सहित सभी समग्र मूल्यांकन करने के बाद पेंशन के संबंध में प्रावधान किए हैं। इसलिए, पेंशन के लिए अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर पेंशन का निर्धारण केवल इन पर लागू होता है –

1 (1983) 1 एस. सी. सी. 305 1040 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2021(1) वे सेवानिवृत्त व्यक्ति जो दिनांक 12.10.2010, संलग्नक पी–6 जारी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य सरकार ने यह भी रुख अपनाया है कि पेंशन नियम, 1999 को अंशदायी भविष्य निधि (नियोक्ता का हिस्सा) के बदले में पेश किया गया था ताकि राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करने की आवश्यकता न पड़े। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिकृति दायर की है।

(6) पक्षकारो की सुनी गई, विद्वान अधिवक्ता और उनकी समर्थ सहायता से, पेपर बुक का अध्ययन किया।याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने अदालत के आधिकारिक ईमेल पर अपनी लिखित दलीलें भी अग्रेषित की हैं, जिसमें निम्नलिखित बिंदु लिए गए हैः–

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतिम वेतन पर पेंशन देने के लिए यू. जी. सी. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के लिए पी जी 66 पी ए (जी) ए एन एन पी–/ए

2. हरियाणा सरकार की दिनांकित बैठक 27.08.10 (P–4 pg.90 दूसरा अंतिम पैरा), ने सिफारिश की कि निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों की पेंशन की गणना 28 साल की योग्यता सेवा के साथ अंतिम बार प्राप्त वेतन के आधार पर की जाए।

3. वित्त विभाग ने प्रशासनिक विभाग की सिफारिश को स्वीकार किया। (एन। पी–5, पीजी–93)3

4. चूंकि निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों और हरियाणा सरकार के शिक्षक समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए वे समरूप वर्ग बनाते हैं,इसलिए, अधिसूचना दिनांक 17.04.09 (वार्षिक) के संदर्भ में। पी–3), सरकार द्वारा जारी किया गया, जो अपने कर्मचारियों को अंतिम वेतन पर पेंशन प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसलिए, निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को भी अंतिम बार प्राप्त वेतन पर पेंशन की गणना के लिए पात्र बनाने में समानता का सिद्धांत सामने आता है।

5. निदेशक तकनीकी शिक्षा ने एक परिपत्र दिनांक 19.05.10 (एन। पी–3/ए) जारी किया था, हरियाणा के सहायता प्राप्त निजी तकनीकी संस्थानों के सेवानिवृत्त लोगों के लिए, जिससे सरकारी अधिसूचना दिनांक 17.04.09 (Ann.P–3) के पैटर्न पर अंतिम बार प्राप्त वेतन पर पेंशन की गणना का लाभ प्रदान किया जाता है।परिपत्र Ann.P–3/A के कार्यान्वयन का उदाहरण, Ann.P–13, Pg.123 से साबित होता है।

6. हरियाणा सरकार के कुछ शिक्षकों द्वारा दायर लिखित याचिका [Ann.P–8 Pg 101 (103)] ने निष्कर्ष निकाला कि

नंद किशोर शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के संदर्भ में
1041
(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

17.04.09 (P–3) की अधिसूचना, पेंशन की गणना 01.01.2006 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है।हालाँकि 01.01.2006 से

17.04.09 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के लिए योग्यता सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।

7. 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. 1982 [पी–12 पी. जी.] में पारित दिनांक 13.07.16 के निर्णय के माध्यम से 116 (121), निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों द्वारा 33 साल के बजाय 28 साल की योग्यता सेवा पर विचार करने के उद्देश्य से, जैसा कि अधिसूचना 17.04.09 (Ann.P) के माध्यम से किया गया है, पेंशन के लिए 28 साल की योग्यता सेवा पर विचार करने के उद्देश्य से दिनांकित 12.10.10 (P–6) से 17.04.09 तक के विवादित कार्यकारी आदेश के लिए प्रार्थना की गई है।3) हरियाणा सरकार के शिक्षकों के मामले में यह मंजूरी दी गई थी और इसे अंतिम रूप दिया गया है।

8. सरकार ने वर्तमान आज्ञापन के अपने जवाब में, पैरा 5 (पेज 134) में स्वीकार किया है कि पेंशन की गणना उन सेवानिवृत्त लोगों को दी जा रही है जो पेंशन संशोधन आदेश 12.10.10 (ए. एन.) जारी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। पी–6) और उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए नहीं जो 12.10.10 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।एना भी। सीएम No.17218–C WP/2019 के साथ पी–19, अंतिम बार लिए गए वेतन पर पेंशन का भुगतान किए जाने के तथ्य को दर्शाता है।

9. सरकार ने दिनांक 07.11.16 के परिपत्र के माध्यम से पैरा–I (बी) (iii) के बाद पैरा (iv) जोड़कर आक्षेपित आदेश पी–6 में अतिरिक्त राशि जोड़ दी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 2006 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए, पेंशन की गणना हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के संदर्भ में, संबंधित संशोधित वेतनमान में वेतन पट्टी + श्रेणी वेतन में न्यूनतम एच. टी. ई. पी. का 50 प्रतिशत लेकर की जाएगी।

10. हरियाणा सरकार ओ. एम. दिनांक 08.09.16 (Ann.P–16 पी. जी. – 190) सेवानिवृत्त लोगों के लिए, जो 01.01.06 से 30.09.06 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने देखा है कि ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन वेतनमान और ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन की राशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

11. हरियाणा सरकार ने अधिसूचना दिनांक 11.05.06 (आर–1, पीजी – 173) सहायता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को अपने कर्मचारियों के बराबर महँगाई भत्ता प्रदान किया है।

12. सभी सेवानिवृत्त व्यक्ति, जो किसी भी पेंशन योजना की मुद्रा के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, समरूप वर्ग बनाते हैं, उन्हें अलग व्यवहार देना अपमानजनक भेदभाव के बराबर होगा और 1042 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2021(1) इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर कोई असमानता नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त बहस
13. फैसले का शीर्षक हरियाणा अध्यापक संघ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य था। 2004 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11686, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना के कार्यान्वयन की मांग कर रहे थे, जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।जैसा कि पृष्ठ संख्या 18 में देखा गया है और उसके बाद निर्णय के बाद के भाग में, यह माना जाता है कि निजी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों पर ए. सी. पी. योजना कभी लागू नहीं की गई थी। इसके अलावा ए. सी. पी. योजना के मूल सूत्र के अनुसार, यह हमेशा सरकारी कर्मचारियों पर लागू था/है।

14. वर्तमान मामले में, पेंशन योजना पहले से ही प्रचलन में थी और संलग्नक पी–15 पृष्ठ 186 के संदर्भ में 01.01.2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ताओं के सहयोगियों को पेंशन की गणना का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम के संदर्भ में वेतन पट्टी + ग्रेड वेतन में वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर और यहां तक कि सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को भी अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन दी जा रही है (जवाब का पृष्ठ 134 और संलग्नक पी –19).
15. सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1982/2015 {एन. में दिए गए निर्णय का अनुपात। पी– 2, पृष्ठ 116 (121) यह है कि

निजी सहायता प्राप्त कॉलेज के शिक्षक सरकारी विदयलयो के शिक्षकों के बराबर हैं

सरकारी कॉलेज जो डॉ. करण सिंह के राठी मामले पर भरोसा करते हुए इस तरह से आयोजित किया गया है, इस माननीय न्यायालय की एक खण्ड पीठ का फैसला है।

16. हरियाणा सरकार के वित्त विभाग (अनुलग्नक पी–5, पृष्ठ 93) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू छठे वेतन आयोग डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2006 की सिफारिशों के अनुसार हरियाणा सहायता प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने के लिए सिफारिशें स्वीकार की।

(7) इसके विपरीत, उत्तरदाता/प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता लोक सेवक नहीं हैं और इसलिए, उनके और हरियाणा राज्य के बीच कोई स्वामी और सेवक का सबंध नहीं है।
1043
(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

वह आगे बताती हैं कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के कामकाज को सीमित सीमा तक विनियमित आदेश के लिए, राज्य ने 1979 के अधिनियम में कुछ प्रावधान किए हैं। विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि गैर–सरकारी निजी संबद्ध कॉलेजों के कर्मचारी वर्ष 1999 में पहली बार पेंशन के हकदार बने। 1999 से पहले ऐसे कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं थे। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की पेंशन का भुगतान केवल अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के हिस्से को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने पर किया जाता है। उन्होंने आगे, न्यायालय को 1999 के पेंशन नियमों की ओर ले जाते हुए कहा कि ऐसी पेंशन केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वह पद जिसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय हरियाणा द्वारा सहायता अनुदान की अनुमति है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी लोक सेवकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों समूह के कर्मचारियों की भर्ती के साथ–साथ सेवा की शर्तें भी अलग–अलग हैं क्योंकि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग या हरियाणा अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा से नहीं होती है। उन्होंने आगे बताया कि निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है जबकि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। फिर भी सरकारी कर्मचारी पूरे राज्य में स्थानांतरण के अधीन हैं जबकि निजी सहायता प्राप्त

कॉलेजों के कर्मचारी आमतौर पर गैर– हस्तांतरणीय होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दो अलग–अलग अवसरों पर एक सचेत निर्णय लिया है] पहला वर्ष 2010 में जब दिनांकित 12–10–2010 आई डी1 जारी किया गया था और उसके बाद वर्ष 2016 में जब सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, केवल उन सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन की गणना के तरीके का लाभ देने के लिए एक सचेत निर्णय लिया जो दिनांक 12–10–2010 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, न कि उन सेवानिवृत्त लोगों को जो इससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे। इसलिए, उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

(8) इससे पहले कि यह पीठ दोनों पक्षों की संबंधित दलीलों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़े, विषय–वस्तु पर मामले के कानून पर ध्यान देना उचित होगा। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता के तर्क का मुख्य आधार D.S.Nakara के मामले (ऊपर) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर है। उपरोक्त मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पेंशनभोगी एक समान समूह बनाते हैं और उनका सूक्ष्म विभाजन उचित नहीं होगा।हालाँकि, इसके बाद, विभिन्न अन्य निर्णयों में इस मामले को आगे समझाया गया है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड बनाम आर. वी. सामी 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में पेंशन देने के लिए कट ऑफ तिथि 01.07.1986 पर या उसके बाद मान्य है। पंजाब राज्य बनाम अमरनाथ गोयल 3 में, यह माना गया है कि उन कर्मचारियों को संशोधित मृत्यु– सह–सेवानिवृत्ति उपदान देने का सरकार का निर्णय वैध है जो 01.01.1995 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को दोनों मामलो में उलट दिया गया था । फिर भी आगे, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम N.Subbarayudu 4, पेंशन देने की कट ऑफ तिथि को निम्नलिखित चर्चा के साथ बरकरार रखा गया।

"6. D.S. Nakara बनाम भारत संघ में कोई संदेह नहीं [(1983) 1 एससीसी 305:1983 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 145 इस न्यायालय ने पेंशन की मांग के संबंध में कटौती की तारीख को रद्द कर दिया था। हालाँकि, बाद के फैसलों में इस न्यायालय ने नकारा मामले (1983) 1 एस. सी. सी. 305 में लिए गए कठोर दृष्टिकोण को काफी कम कर दिया है:1983 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 145] जैसा कि इस निर्णय के अनुछेद में देखा गया है। पंजाब राज्य बनाम अमर

नाथ गोयल में न्यायालय (2005) 6 एससीसी 754:2005 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 910]।

7. कार्यकारी अधिकारियों के दिमाग में विभिन्न विचार हो सकते हैं जिनके कारण एक विशेष कट–ऑफ तिथि तय की गई है। ये विचार वित्तीय, प्रशासनिक या अन्य विचार हो सकते हैं। अदालत को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और आम तौर पर कट–ऑफ तिथि तय करने के लिए इसे कार्यकारी अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए। सरकार के पास इस संबंध में कुछ छूट और सवतंत्रता होनी चाहिए।

8. वास्तव में इस न्यायालय के कई निर्णय इस हद तक गए हैं कि कट–ऑफ तिथि के चयन को मनमाना नहीं कहा जा सकता है, भले ही सरकार द्वारा दायर जवाबी–हलफनामे में इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं दिया गया हो (जब तक कि इसे पूरी तरह से मनमौजी या सनकी नहीं दिखाया गया हो), बिहार राज्य बनाम रामजी प्रसाद (1990) 3 एससीसी 368:1991 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 51], भारत संघ बनाम सुधीर कुमार जायसवाल (1994) एस. सी. सी. 212:1994 एससीसी (एल एंड एस) 925:(1994) 27 ए. टी. सी. 561 (एस. सी. सी. पैरा 5 के अनुसार), रामराव बनाम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग बैंक कर्मचारी कल्याण संघ। [(2004) 2

2 (1999) 3 एस. सी. सी. 414

3 (2005) 6 एस. सी. सी. 754/784 4 (2008) 14 एस. सी. सी. 702

एससीसी 76:2004 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 337] (एस. सी. सी. पैरा 31 के माध्यम से),

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी

(1996) 10 एससीसी 536:1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1431], आदि। इसलिए, यह इस प्रकार से बताता है कि भले ही सरकार या कार्यकारी प्राधिकरण के जवाबी–हलफनामे में कोई कारण नहीं दिया गया हो कि क्या एक विशेष कट–ऑफ तिथि क्यों चुनी गई है, फिर भी अदालत को उस तारीख को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला घोषित नहीं

करना चाहिए, जब तक कि उक्त कट–ऑफ तिथि कुछ स्पष्ट रूप से असामान्य या अपमानजनक परिणाम की ओर न ले जाए।"

(9) फिर भी आगे, राजस्थान राज्य बनाम अमृत लाल गांधी में पेंशन योजना शुरू करने के लिए कट ऑफ तिथि को इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि राज्य अपनी भुगतान क्षमता के आधार पर कट ऑफ तिथि तय करने के अपने अधिकार के भीतर ही सही है। फिर, हाल ही में दो निर्णय लिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील सभी पर निर्भर हैं मणिपुर पेंशनभोगी संघ बनाम मणिपुर राज्य 5 जिसमें खण्ड पीठ ने D.S.Nakara पर निर्भर करते हुए, कहा कि संशोधित पेंशन देने के लिए कट ऑफ डेट मनमाना है।लेकिन उसी माननीय न्यायाधीश ने हिमाचल रोड पर एक और फैसला सुनाया।

हिमाचल सड़क परिवहन निगम बनाम हिमाचल सड़क परिवहन सेवानिवृr कर्मचारी संघ 6 जिसमें यह घोषित किया गया है कि सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को उलटते समय कट ऑफ तिथि निर्धारित करने के अपने अधिकार के भीतर है।

(10) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या सरकार द्वारा निर्देश जारी करने की तारीख से पेंशन की गणना की विधि निर्धारित करने के लिए निर्धारित कट ऑफ तिथि यानी 12.10.2010 सही है या नहीं?

(11) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता / वकील के पहले तर्क के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति, याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है कि पेंशन की गणना की विधि केवल अंतिम वेतन के आधार पर होनी चाहिए।यह केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हो सकता है, लेकिन यह राज्य को बाध्य नहीं करता है।

(12) दूसरे तर्क के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सरकार ने अंततः को अपनाने का एक सचेत निर्णय लिया है

6 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 127 1046
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2021(1)।
इसलिए, सिफारिशें अंतिम निर्णय का स्थान नहीं ले सकती हैं।खंड 3 के तहत अगले तर्क के संबंध में भी यही स्थिति है।

(13) जहां तक विवाद क्रमांक 4 का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। उनकी सेवा शर्तों के साथ–साथ भर्ती का तरीका भी अलग है। निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक गैर–हस्तांतरणीय पदों पर हैं और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है जबकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह 58 वर्ष है और वे पूरे राज्य में कही भी स्थानांतरण के अधीन हैं। इसके अलावा, निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा नहीं है, जबकि यह सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। इसके अलावा, यह पीठ निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों/स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले का फैसला करते हुए –2004 शीर्षक हरियाणा राज्य शिक्षक संघ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ने 05.05.2021 पर निर्णय लिया कि/ कर्मचारियों ने इन दोनों श्रेणियों में आने वाले कर्मचारि अलग–अलग हैं और वे एक समरूप वर्ग नहीं बनाते हैं।

(14) तर्क क्रमांक 6 के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि अंतिम निर्णय रकार द्वारा लिया गया है और इसलिए, इससे पहले जारी किया गया कोई भी परिपत्र निरस्त हो जाता है।

(15) अनुबंध क्रमांक न. 6 के संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि माननीय खण्ड पीठ ने उन याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिन्होंने 28 साल की सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन का लाभ लेने का दावा किया था।जबकि, संशोधित पेंशन नियम 2009 के अनुसार, जो 17.04.2009 पर लागू हुआ, कर्मचारियों को उनकी योग्यता सेवा के 33 साल पूरे होने पर पूर्ण पेंशन का हकदार माना गया था।दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथि को बरकरार रखा गया था।

(16) विषय / वस्तु क्रमांक न 7 के तहत उल्लिखित तर्क के सम्बन्ध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ताओं ने 28 साल की सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन के

हकदार होने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता का दावा किया है।उपरोक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता 30.09.2009 से 31.07.2010 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अलावा भी अत्यंत सम्मान के साथ, पीठ का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की ओर नहीं खींचा गया, जिन पर ऊपर ध्यान दिया गया है।इसके अलावा, वर्तमान मामले में जिस मुद्दे पर निर्णय की आवश्यकता है, वह अलग है।

(17) विषय न 9 के तहत पहले जो तर्कों के सम्बन्ध में

9, यह नंद किशोर शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य हो सकता है।
1047
(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुलगंक पी–15 एक दिनांकित 07–11–2016 संचार है जिसे हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव ने प्राप्त कई प्रश्नों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। उपरोक्त सचार को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि सरकार ने अपना रुख बदल लिया है या पिछले 10 महीनों के औसत वेतन के 50 प्रतिशत की गणना करने की पिछली विधि के बजाय अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत पर पेंशन की गणना का लाभ देने का सचेत निर्णय लिया है। विवाद संख्या न 10 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ संलग्नक पी–11 के संबंध में भी यही स्थिति है। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को महँगाई भत्ता देने के तर्क के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह सरकार का निर्णय है और याचिकाकर्ता यहां महँगाई भत्ते का दावा नहीं कर रहे हैं। दिनांक 11–05–2006 के निर्णय के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि सहायता प्राप्त संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाया गया है। विषय न 12 के सम्बन्ध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि पेंशन की गणना की विधि के उद्देश्य से एक कट ऑफ तिथि अपनाई गई है। इसी उद्देश्य के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 12.10.2010, संलग्नक पी–6 से पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णयों में 12.10.2010 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त लोगों के साथ एक समरूप वर्ग नहीं बनाते हैं।

(18) अतिरिक्त परिस्तियों में, विद्वान अधिवक्ता ने हरियाणा राज्य शिक्षक संघ के मामलो (उपरोक्त) में पारित निर्णय में अंतर करने की कोशिश की है।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त निर्णय एक अलग मुद्दे पर है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का

अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में तर्क सही है, हालांकि, याचिकाकर्ताओं को सवयं उन याचिका को स्वीकार करने में परिणाम नहीं है।

(19) अगली प्रस्तुति में, विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न दस्तावेजों का संदर्भ दिया है जिन्हें पत्रावली पर संलग्नक पी–19 के रूप में रखा गया है, जिसमें पेंशन की गणना की गई है।इस तरह के संचार के परिणामस्वरूप सरकार के सचेत निर्णय का स्थान नहीं लेता है।

(20) अगला तर्क फिर से निर्णय संलग्नक पी–12 के संदर्भ में है, जिसकी पहले ही जांच की जा चुकी है।

(21) अंतिम निवेदन/ प्रस्तुति के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा सरकार ने गैर–सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, हालांकि, सरकार ने अपने विवेक से पेंशन की गणना के उद्देश्य के लिए एक कट ऑफ तिथि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके जवाब में सरकार ने रुख अपनाया है कि इस तरह का निर्णय वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कहा है कि वित्तीय निहितार्थ कट ऑफ तिथि प्रदान करने के लिए एक अच्छा आधार है।

(22) इसके अलावा भी जैसा कि ऊपर देखा गया है, निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों को पहली बार वर्ष 2009 में पेंशन प्रदान की गई थी। सरकार दवारा कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के आदेश के लिए इस रियायत को बढ़ा दिया था । 1999 के नियमों की अनुपस्थिति में कभी भी याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं होते।याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।वे केवल बनाए गए नियमों के कारण ही पेंशन के हकदार हैं। वर्ष 1999 में, सरकार ने पेंशन नियम, 1999 को अधिसूचित करने से पहले अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के हिस्से के लिए उपलब्ध राशि के आधार पर गणना की। इसलिए, याचिकाकर्ता नियमों के प्रावधानों से परे लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

(23) इसके अलावा सरकार का निर्णय नीतिगत निर्णय के दायरे में आता है और जब तक यह मनमाना असामान्य या सनकी साबित नहीं होता है, तब तक अदालत से न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं की जाती है।

(24) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट जारी करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है, जैसा कि अनुरोध किया गया है।

(25) इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

रामपाल

अनुवादक

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।